मध्य प्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1987

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2. विस्तार तथा प्रयुक्ति
3. परिभाषाएं
4. पुनरीक्षित वेतनमान
5. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण
6. विकल्प का प्रयोग
7. पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन का नियत किया जाना
8. पुनरीक्षित वेतनमान में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख
9. वेतन के वकाया का भूगतान
10. पेंशन संबंधी फायदों के प्रयोजक के लिए सैद्धांतिक वेतन (नेशनल पे) का हिसाब में लिया जाना
11. वेतन के नियतन के दृष्टान्त
12. शिथिलीकरण की शक्ति
13. निर्वचन
    - उपाबंध-एक
    - उपाबंध-दो
    - उपाबन्ध - तीन
        - सारणी क्रमांक - 1 से 8

मध्य प्रदेश कायभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1987[1]

क्रमांक 411 -1628 नि०-1-चार, दिनांक 1 अगस्त 1987 --भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1987 है ।

(ख) ये 1 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे ।

2. विस्तार तथा प्रयुक्ति-ये 1 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे ।

3. परिभाषाएं-इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "उपाबन्ध" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ;

(ख) "मूल वेतन" से अभिप्रेत है विद्यमान वेतनमान में सेवा के सदस्य द्वारा मँहगाई भत्ते को अपवर्जित करते हुये प्रतिमास आहरित की जा रही रकम;

(ग) "विद्यमान वेतनमान" से अभिप्रेत है वह वेतनमान जो उपाबन्ध एक के कालम (3) में दर्शाया गया है;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश की सरकार;

(ङ) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा का सदस्य, जो विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा हो;

(च) "पुनरीक्षित उपलब्धियों" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो और पुनरीक्षित वेतनमान में अनुज्ञेय मँहगाई भत्ता ' 'पुनरीक्षित वेतनमान' ' से अभिप्रेत है विद्यमान वेतनमान का तत्स्थानी वेतनमान, जो कि उपाबन्ध एक के कालम (5) में दर्शाया गया है;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा ।

4. पुनरीक्षित वेतनमान-इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से उपाबन्ध एक के कालम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पद का वेतनमान उसके कालम (5) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा ।

5. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण- इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा का वह सदस्य जो विद्यमान

बेतनमान में वेतन आहरित कर रहा है, उस पद को जो कि वह धारण करता है, लागू होने वाले पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण करेगा :

परन्तु वह विद्‌यमान वेतनमान में अपनी आगामी या उत्तरवर्ती वेतन वृद्‌धि अर्जित करने की तारीख तक या उस वेतनमान में अपना पद छोड़ने या उस वेतनमान में वेतन आहरण करना बन्द करने तक विद्‌यमान वेतनमान में अपना वेतन आहरण करना जारी रखने का चयन कर सकेगा ।

6 विकल्प का प्रयोग–(1) सेवा के किसी सदस्य द्‌वारा नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर इन नियमों से संलग्न प्ररूप में लिखित में किया जाएगा ।

(2) सेवा के सदस्य द्‌वारा विकल्प अपने कार्यालय के प्रधान को संसूचित किया जाएगा । कार्यालय के प्रधान द्‌वारा प्राप्त किया गया विकल्प सम्बन्धित सदस्य के सेवा अभिलेख के साथ रखा जायेगा तथा सेवा पुस्तिका/सेवा नामावली में उस आशय की प्रविष्टि दर्ज की जायेगी ।

(3) विकल्प का एक बार किया गया प्रयोग अन्तिम होगा और यदि उसका प्रयोग विहित समय सीमा के भीतर तथा विहित रीति में नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा के सदस्य ने 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान का चयन किया है ।

(4) सेवा के ऐसे सदस्य के मामले में, जिसकी मृत्यु 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशित होने के पूर्व हो जाती है या जिसकी मृत्यु इन नियमों के प्रकाशित होने के पश्चात् किन्तु विकल्प का प्रयोग करने के लिये विहित कालावधि के पूर्व विकल्प का प्रयोग किये बिना ही हो जाती है, यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे वेतनमान के लिये विकल्प लिया है जो कि कार्यालय के प्रधान द्‌वारा उसके लिये लाभप्रद पाया जाये और उसका वेतन तद्‌नुसार नियत किया जा सकेगा ।

7. पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन का नियत किया जाना-सेवा के ऐसे सदस्य का, जो नियम 6 (3) के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता है या जिसके बारे में यह समझा गया है कि उसने पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है, प्रारम्भिक वेतन उस स्थिति के सिवाय जहां कि राज्य सरकार, विशेष आदेश द्‌वारा अन्यथा निर्देश दे, निम्नलिखित रीति से नियत किया जायेगा, अर्थात्-

(एक) विद्‌यमान वेतनमान में मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर रकम सेवा के सदस्य की विद्‌यमान उपलब्धियों में जोड़ी जायेगी,

स्पष्टीकरण- यदि इस प्रकार संगणित कुल राशि में रुपये का कोई भाग सम्मिलित हो तो वह निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा जबकि 50 पैसे या उससे अधिक को उसके अगले रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा ।

(दो) विद्‌यमान उपलब्धियों में इस प्रकार वृद्‌धि किये जाने के पश्चात, वेतन को तत्पश्चात्‌ पुनरीक्षित वेतनमान में इस प्रकार संगणित राशि के ऊपर अगले प्रक्रम में नियत किया जायेगा :

परन्तु--

(क) यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम इस प्रकार निकाली गई रकम से अधिक हो तो वेतन का नियतन पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर किया जायेगा,

(ख) यदि इस प्रकार निकाली गई रकम पुनरीक्षित वेतनमान में किसी प्रक्रम के समतुल्य हो तो वेतन का नियतन उस समतुल्य प्रक्रम पर किया जाएगा;

(ग) यदि इस प्रकार निकाली गई रकम पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक से अधिक हो तो वेतन उस वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाएगा और अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जो कि वेतन की आगामी वृद्‌धियों में आमेलित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए विद्‌यमान उपलब्धियों में सम्मिलित है -

(क) विद्‌यमान वेतनमान में मूल वेतन (जहां विद्‌यमान वेतनमान में वेतनवृद्‌धि 1 जनवरी, 1986 को देय हो वहाँ वह मूल वेतन का भाग माना जाएगा) ।

(ख) मूल वेतन के लिए समुचित मँहगाई भत्ता जो औसत सूचकांक 608 बिन्दु (1960-100) पर अनुज्ञेय हो जैसी कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ० बी० 8 -दो- 3-86- आर-दो-चार दिनांक 25 मार्च 1986 द्‌वारा मंजूर कया गया है ।

स्पष्टीकरण-इस टिप्पणी के प्रयोजनों के लिए विद्‌यमान वेतनमान में वेतन से अभिप्रेत होगा पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करने की तारीख को विद्‌यमान वेतनमान में मूल वेतन तथा मूल वेतन के लिए समुचित मँहगाई भत्ता जो औसत सूचकांक 608 बिन्दु (1960-100) पर अनुज्ञेय हो जैसा कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ० बी०-8- दो-3-86-आर-दो-चार-दिनांक 25 मार्च, 1986 द्‌वारा मंजूर किया गया है ।

टिप्पणी - 1- जहां इस नियम के अधीन वेतन के नियतन में किसी विद्‌यमान वेतनमान में पांच से अधिक लगातार प्रक्रमों पर वेतन आहरितकरने वाले सेवा के किसी सदस्य के वेतन का समूहीकरण हो जाता है अर्थात पुसरीक्षित वेतनमान में उसी प्रक्रम पर नियत हो जाता है तो वहां सेवा के ऐसे सदस्यों का, जो विद्‌यमान वेतनमान में प्रथम पांच लगातार प्रक्रमों में उपर वेतन आहरित की रहे है, पुररीक्षित वेतनमान में वेतन उस प्रक्रम के उपर जहां ऐसा समूहीकरण उत्पन्न्‌ होता है निम्नलिखित रूप से वेतनवृद्‌धि (वेतन वृद्‌धियां) मंजूर करके उस प्रक्रम तक बढा दिया जाएगा जहां निम्नानुसार ऐसा समूहीकरण किया गया है, अर्थात्‌ -

(क) सेवा के उप सदस्यों के लिए जो विद्‌यमान वेतनमान में छटवें प्रक्रम से दसवें प्रक्रम

तक वेतन आहरित कर रहे है- एक वेतन वृद्धि द्वारा,

(ख) सेवा के उन सदस्यों के लिए जो विद्यमान वेतनमान में ग्यारहवें प्रक्रम के पन्द्रहवें प्रक्रम तक वेतन आहरित कर रहें हों, यदि दसवें प्रक्रम से परे समूहिकरण है- दो वेतनद्धि द्वारा ।

8. पुनरीक्षित वेतनमान में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख-सेवा के सदस्य की, जिसका वेतन नियम 7 के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया गया है आगामी वेतनवृद्धि उस तारीख को मंजूर की जाएगी जिसको कि यदि वह विद्यमान वेतनमान में बना रहता तो अपनी वेतनवृद्धि आहरित करता:

परन्तु उन मामलों में जहाँ सेवा के सदस्य का वेतन नियम, के नीचे टिप्पणी- 1 के निबन्धनों में अग्रक्रम में आया हो वहां आगामी वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के अग्रक्रम में आने की तारीख से बारह मास की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर मंजूर की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि उन मामलों में, जो पूर्ववर्ती परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले मामलों से भिन्न हों, सेवक की, जिसका वेतन 1 जनवरी, 1986 को उसी प्रक्रम पर नियत किया गया है जिस पर उसी काडर में उससे कनिष्ठ अन्य सदस्य का वेतन नियत किया गया है और जो विद्यमान वेतनमान में उससे निम्न प्रक्रम पर वेतन आहरित कर रहा हो, आगामी वेतनवृद्धि उसी तारीख को मंजूर की जायेगी जो कि उसके कनिष्ठ के लिए अनुज्ञेय है, उस स्थिति में जबकि कनिष्ठ की वेतनवृद्धि की तारीख पूर्वत्तर हो :

परन्तु यह भी जहाँ सेवा का कोई सदस्य 1-1-85 के पश्चात् विद्यमान वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच गया हो वहां पुनरीक्षित वेतनमान में आगामी वेतनवृद्धि ऐसी तारीख से वेतनवृद्धि के लिए संगणित की जाने वाली वेतनवृद्धि योग्य पूर्ण कालावधि की सेवा पूर्ण करने पर मंजूर की जाएगी :

परन्तु यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्य के मामले में, जिसको 1-1-86 को विद्यमान वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष से अधिक हो गया हो, पुनरीक्षित वेतनमान में आगामी वेतनसूद्धि 1-1-86 को अनुज्ञात की जाएगी ।

9. वेतन के वकाया का भूगतान- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सेवा के सदस्यों का वेतन सैद्धांतिक रूप से 1 जनवरी, 1986 को या 31 दिसम्बर, 1986 से पूर्व पड़ने वाली आगामी वेतनवृद्धि की तारीख से,' जैसी भी कि दशा हो, नियत किया जाएगा किन्तु इन नियमों के अधीन वेतन नियत किए जाने के फलस्वरूप वेतन का वास्तविक बकाया 1 जनवरी, 1987 से (अर्थात् फरवरी 1987 में देय माह जनवरी 1987 का वेतन) देय होगा । तथापि 1 जनवरी, 1987 से 28 फरवरी, 1987 तक की कालावधि के लिए देय बकाया संबंधित सदस्य के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा और माह मार्च 1987 (अप्रैल 1987 में देय) और उससे आगे के लिए देय रकम का नकद भुगतान किया जाएगा ।

10. पेंशन संबंधी फायदों के प्रयोजक के लिए सैद्धांतिक वेतन (नेशनल पे) का हिसाब में लिया जाना-ऐसे सेवा के सदस्यों के संबंध में जो जनवरी 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 तक की कालावधि के बीच सेवानिवृत्त होते हैं सैद्धांतिक रूप से यथानियत वेतन को पेंशन संबंधी फायदों के प्रयोजनों के लिए, जहां नीति विषयक मामले के रूप में वेतन के बकाया नहीं दिए गए हैं भले ही वे इस नियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है, हिसाब में लिया जाना अनुज्ञात किया जाएगा ।

11. वेतन के नियतन के दृष्टान्त-कुछ मामलों में पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन नियतन का दृष्टान्त देते हुए उदाहरण उपाबन्ध-दो में दिए गए हैं । विद्यमान वेतनमान से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का नियतन दर्शाने वाली सारिणी उपाबन्धतीन में है ।

12. शिथिलीकरण की शक्ति- सेवा के सदस्यों या सेवा के सदस्यों के प्रवर्ग के मामले में राज्य सरकार इन नियमों के उपाबंधों में से किसी भी उपाबंध के प्रवर्तन को ऐसी रीति में तथा ऐसी सीमा तक जो कि उसे लोकहित में न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो शिथिल या निलम्बित कर सकेगी :

परन्तु ऐसे शिथिलीकरण या निलम्बन का प्रवर्तन इस प्रकार नहीं होगा कि वह यथास्थिति सेवा के सदस्य या सेवा सदस्यों के प्रवर्गो के लिए अहितकर हो ।

13. निर्वचन-यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो वह राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

उपाबंध-एक

[नियम 4 देखिए]

क्रमांक	पद	विद्यमान वेतनमान (रुपयों में)	वेतनमान क्रमांक	पुनरीक्षित वेतनमान (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वे समस्त पद जो कालम (3) में विनिर्दिष्ट वेतनमान पाने वाले है।	380-495	(1)	725-10-735-12-855-15-900
2.	तदैव	400-525	(2)	750-12-870-14-940
3.	तदैव	445-635	(3)	775-12-955-14-1025-15-1100-20-1200
4.	तदैव	515-800	(4)	870-20-910-25-1010-30-1220-40-1420
5.	तदैव	575-880	(5)	975-25-1000-30-1210-1450-40-50-1650
6.	तदैव	635-950	(6)	1200-30-1440-30-1800
7.	तदैव	740-1180	(7)	1290-30-1560-40-2040
8.	तदैव	860-1330	(8)	1350-30-1440-40-1800-50-2200

विकल्प का प्रारूप

[नियम 6 देखिये]

मैं... ... ... नाम ... ...
...एतदद्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रु० ... ... का तारीख 1 जनवरी, 1986 से चयन करता हूँ।

अथवा

मैं... ... ... एतदद्वारा नीचे वर्णित अपने पद का रुपये... ... ...का विद्यमान वेतनमान-

X (क) मेरी आगामी वेतन वृद्धि की तारीख तक ।

या X (ख) मेरा वेतन रुपए. ...... तक बढ़ने वाली उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक.

या X (ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किए जाने तक या रु.... .... के विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित करना छोड़ने तक ।

जारी रखने का चयन करता हूँ ।

स्थान.. .... हस्ताक्षर.... ....
तारीख... .... नाम... ... .
पदनाम ....
कार्यालय जिसमें नियोजित है.... ....

X जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने की तारीख... ....
(तारीख शब्दों में तथा अंकों में लिखी जाना चाहिए)

(कार्यालय का प्रधान)
(मुद्रा)

उपाबंध-दो

उदाहरण- 1

[नियम 7 (दो) देखिये]

विद्‌यमान वेतनमान रुपए 380-5-425-10-495 |

पुनरीक्षित वेतनमान रुपए 725-10-735-12-855-15-900 |

“ख" 1-8-1985 से विद्‌यमान वेतनमान में वेतन रु० 455 प्रतिमाह आहरित कर रहा था । पुनरीक्षित वेतनमान में 1-1-1986 को उसका वेतन निम्नानुसार होगा-

मूल वेतन	रुपए 455.00
मंहगाई भत्ता	रुपए 236.60
(औसत सूचकांक 608 बिन्दु पर)	
मूल वेतन का 10 प्रतिशत	रुपए 45.50
	रुपये 737.10

(या पूर्णांक में रुपए 737. 00)

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन रु 737.00 प्रतिमाह । आगामी वेतन वृद्‌धि की तारीख 1-8-86 |

उदाहरण - 2

[नियम 7 का परन्तुक (क) देखिए]

विद्‌यमान वेतनमान रुपए 515-10-575-15-800

पुनरीक्षित वेतनमान रुपए 870-20-910-25-1010-30-1220-40-1420

“ग” 1-9-1985 से विद्‌यमान वेतनमान में वेतन रुपए 515 प्रतिमाह आहरित कर रहा था । पुनरीक्षित वेतनमान में 1-1-1986 को उसका वेतन निम्नानुसार होगा-

मूलवेतन	रुपए 515.00
मंहगाई भत्ता	रुपए 267.80
(औसत सूचकांक 608 बिन्दु पर)	
मूल वेतन का 10 प्रतिशत	रुपए 51. 50
	रुपए 834. 30

(या पूर्णाक में रुपए 834.00)

उसका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम पर अर्थात् रुपए 870.00 प्रतिमाह पर नियत किया जाएगा और उसकी आगामी वेतन वृद्‌धि की तारीख 1-9-86 होगी ।

उदाहरण-3

[नियम 7 का परन्तुक (ख) देखिए]

विद्‌यमान वेतनमान रुपए 400-5-425-10-525,

पुनरीक्षित वेतनमान रुपए 750-12-870-14-940

"घ" 1-10-1985 से विद्‌यमान वेतनमान में वेतन रु० 515 प्रतिमाह आहरित कर रहा था । उसने तारीख 1-10-1986 से पुनरीक्षित वेतनमान का चयन किया है । पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा-

मूल वेतन	रुपए 515.00
मंहगाई भत्ता	रुपए 267.80
(औसत सूचकांक 608 बिन्दु पर)	
मूल वेतन का 10 प्रतिशत	रुपये 51.50
	रुपये 834.30

या पूर्णांक में रुपए 834.00

चूंकि पुनरीक्षित वेतनमान में रुपए 834.00 का प्रक्रम है, अत: उसका वेतनमान रूपये 834.00 प्रतिमाह पर नियत किया जाएगा और उसकी आगामी वेतन वृद्‌धि की तारीख 1-10-1986 होगी ।

उदाहरण-4

नियम-7 के टिप्पण- 1 के उपबन्धों के अनुसार वेतन निर्धारण
विद्‌यमान वेतनमान रुपए 380-5-425-10-495
पुनरीक्षित वेतनमान रुपए 725-10-735-12-855-15-900

प्रक्रमों का अनुक्रमांक	विद्‌यमान वेतनमान में प्रक्रम	विद्‌यमान वेतन में उपलब्धियां	पुनरीक्षित वेतनमान में नियम 7 के अधीन नियत किया जाने वाला वेतन	नियम 7 के टिप्पण - 1 के अधीन नियत किया जाने वाला वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	380	616.00	725.00	725.00
2.	385	624.00	725.00	725.00
3.	390	632.00	725.00	725.00
4.	395	640.00	725.00	725.00
5.	400	648.00	725.00	725.00
6.	405	656.00	725.00	735.00
7.	410	664.00	725.00	735.00
8.	415	672.00	725.00	735.00
9.	420	680.00	725.00	735.00
10.	425	689.00	725.00	735.00
11.	435	705.00	725.00	747.00
12.	445	721.00	725.00	747.00
13.	455	737.00	747.00	
14.	465	753.00	759.00	
15.	475	770.00	771.00	
16.	485	786.00	795.00	
17.	495	802.00	807.00	

उपाबन्ध - तीन

सारणी क्रमांक - 1

विद्‌यमान वेतनमान रु० 308-5-425-10-495

पुनरीक्षित वेतनमान रु० 725-10-735-12-855-15-900

मूल वेतन	मंहगाई भत्ता 608 बिंदु तक (रुपयों में)	योग (रुपयों में)	मूल वेतत का 10 प्रतिशत (रुपयों में)	कालम 3+4 का योग पूर्णांक में (रुपयों में)	पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
380	197.60	577.60	38.00	616.00	725.00
385	200.20	585.20	38.50	624.00	725.00
390	202.80	592.80	39.00	632.00	725.00
395	205.40	600.40	39.50	640.00	725.00
400	208.00	608.00	40.00	648.00	725.00
405	210.00	615.60	40.50	656.00	735.00
410	213.20	623.20	41.00	664.00	735.00
415	215.80	630.80	41.50	672.00	735.00
420	218.40	638.40	42.00	680.00	735.00
425	221.00	646.00	42.50	689.00	735.00
435	226.20	661.20	46.50	705.00	747.00
445	231.40	676.40	44.50	721.00	747.00
455	236.36	691.60	45.50	737.00	747.00
465	241.80	706.80	46.50	753.00	759.00
475	247.00	722.00	47.50	670.00	771.00
485	252.20	737.20	48.50	786.00	795.00
495	257.40	752.40	49.50	802.00	807.00

सारणी क्रमांक - 2

विद्‌यमान वेतनमान रु० 400-5-425-10-525

पुनरीक्षित वेतनमान रु० 750-12-860-14-940

मूल वेतन	मंहगाई भत्ता 608 बिंदु तक (रुपयों में)	योग (रुपयों में)	मूल वेतत का 10 प्रतिशत (रुपयों में)	कालम 3+4 का योग पूर्णांक में (रुपयों में)	पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
400	208.00	608.00	40.00	448.00	750.00
405	210.60	615.60	40.50	656.00	750.00
410	213.20	623.20	41.00	664.00	750.00
415	215.80	630.80	41.50	672.00	750.00
420	218.40	638.40	42.00	680.00	750.00
425	221.00	646.00	42.50	689.00	762.00
435	226.20	661.20	43.50	705.00	762.00
445	231.40	676.40	44.50	721.00	762.00
455	236.60	691.60	45.50	737.00	762.00
465	241.80	706.80	46.50	753.00	762.00
475	247.00	722.00	47.50	770.00	774.00
485	252.20	737.20	48.50	786.00	786.00
495	257.40	752.40	49.50	802.00	810.00
505	262.60	767.60	50.50	818.00	822.00
515	268.80	782.80	51.50	834.00	834.00
525	273.80	798.00	52.50	851.00	858.00

सारणी - क्रमांक -3

विद्यमान वेतनमान रु० 445-10-575-15-635

पुनरीक्षित वेतनमान रु० 775-12-955-14-1025-15-1100-20-1200

मूल वेतन (रुपयों में)	मंहगाई भत्ता 608 बिंदु तक (रुपयों में)	योग (रुपयों में)	मूल वेतन का 10 प्रतिशत (रुपयों में)	कालम 3+4 का योग पूर्णांक में (रुपयों में)	पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
445	231.40	676.40	44.50	721.00	775.00
455	236.60	691.60	45.50	737.00	775.00
465	241.80	706.80	46.50	753.00	775.00
475	247.00	722.00	47.50	770.00	775.00
485	252.20	737.20	48.50	786.00	787.00
495	257.40	752.40	49.50	802.00	811.00
505	262.60	767.60	50.50	818.00	823.00
515	267.80	782.80	51.50	834.00	835.00
525	273.00	798.00	52.50	851.00	859.00
535	278.20	813.20	53.50	867.00	871.00
545	283.40	828.40	54.50	883.00	883.00
555	288.60	843.60	55.50	899.00	910.00
565.	293.00	858.80	56.50	915.00	935.00
575	299.00	874.00	57.50	932.00	935.00
590	306.80	896.80	59.00	956.00	960.00
605	314.60	919.60	60.50	980.00	985.00
620	322.40	942.40	62.50	1004.00	1010.00
635	330.20	965.20	63.50	1029.00	1040.00
650	338.00	988.00	65.00	1053.00	1070.00
665	345.80	1010.80	66.50	1077.00	1100.00
680	353.60	1033.60	68.00	1102.00	1130.00
695	361.40	1056.40	69.50	1126.00	1130.00
710	369.20	1079.20	71.00	1150.00	1160.00
725	377.00	1102.00	72.50	1175.00	1190.00
740	384.80	1124.80	74.00	1199.00	1220.00
755	392.60	1147.60	75.50	1223.00	1260.00
770	400.40	1170.40	77.00	1247.00	1260.00
785	408.20	1193.20	78.50	1272.00	1300.00
800	416.00	1216.00	80.00	1296.00	1300.00
555	288.60	843.60	55.50	809.00	907.00
565	293.00	858.80	56.50	915.00	919.00

575	299.00	874.00	57.50	932.00	943.00
590	306.80	896.80	59.00	956.00	969.00
605	314.60	919.40	60.50	980.00	983.00
620	322.40	942.40	62.00	1004.00	1011.00
635	330.20	965.20	63.50	1029.00	1040.00

सारणी क्रमांक-4

विद्‌यमान वेतनमान रु० 515-10-575-15-800

पुनरीक्षित वेतनमान रु० 870-20-910-25-1010-30-1220-40-1420

मूल वेतन (रुपयों में) (1)	मंहगाई भत्ता 608 बिंदु तक (रुपयों में) (2)	योग (रुपयों में) (3)	मूल वेतन का 10 प्रतिशत (रुपयों में) (4)	कालम 3+4 का योग पूर्णांक में (रुपयों में) (5)	पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम (रुपयों में) (6)
515	267.80	782.80	51.50	834.00	870.00
525	273.00	798.00	52.50	851.00	870.00
535	278.20	813.20	53.50	867.00	870.00
545	283.40	828.40	54.50	883.00	890.00

सारणी क्रमांक-5

विद्‌यमान वेतनमान रु० 575-15-800-20-880

पुनरीक्षित वेतनमान रु० 975-25-1000-30-1210-40-1450-50-1650

मूल वेतन (रुपयों में) (1)	मंहगाई भत्ता 608 बिंदु तक (रुपयों में) (2)	योग (रुपयों में) (3)	मूल वेतन का 10 प्रतिशत (रुपयों में) (4)	कालम 3+4 का योग पूर्णांक में (रुपयों में) (5)	पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम (रुपयों में) (6)
575	299.00	874.00	57.50	932.00	975.00
590	306.80	896.80	59.00	956.00	975.00
605	314.60	919.60	60.50	980.00	1000.00
620	322.40	942.00	62.00	1004.00	1030.00
635	330.20	965.20	63.50	1029.00	1030.00
650	338.00	988.00	65.00	1053.00	1060.00
665	345.80	1010.80	66.50	1077.00	1090.00
680	353.60	1033.60	68.00	1102.00	1120.00
695	361.40	1056.40	69.50	1126.00	1150.00
710	369.20	1079.20	71.00	1150.00	1150.00

725	377.00	1102.00	72.50	1175.00	1180.00
740	384.80	1124.80	74.00	1199.00	1210.00
755	392.60	1147.60	75.50	1223.00	1250.00
770	400-40	1170.40	77.00	1247.00	1250.00
785	408.20	1193.20	78.50	1272.00	1290.00
800	416.00	1216.00	80.00	1296.00	1330.00
820	416.00	1236.00	82.00	1318.00	1330.00
840	416.00	1256.00	84.00	1340.00	1370.00
860	416.00	1276.00	86.00	1362.00	1370.00
880	416.00	1296.00	88.00	1384.00	1410.00

सारणी क्रमांक - 6

विद्यमान वेतनमान रु० 635-15-800-20-900-25-950

पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1200-30-1440-30-1800

मूल वेतन (रुपयों में) (1)	मंहगाई भत्ता 608 बिंदु तक (रुपयों में) (2)	योग (रुपयों में) (3)	मूल वेतन का 10 प्रतिशत (रुपयों में) (4)	कालम 3+4 का योग पूर्णांक में (रुपयों में) (5)	पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम (रुपयों में) (6)
635	330.20	967.20	63.50	1029.00	1200.00
650	338.00	988.00	65.00	1053.00	1200.00
665	345.80	1010.80	66.50	1077.00	1200.00
680	353.60	1033.60	68.00	1102.00	1200.00
695	361.40	1056.40	69.50	1126.00	1200.00
710	369.20	1079.20	71.00	1150.00	1230.00
725	377.00	1102.00	72.50	1175.00	1230.00
740	384.80	1124.80	74.00	1199.00	1230.00
755	392.60	1147.60	75.50	1223.00	1230.00
770	400.40	1170.40	77.00	1260.00	1260.00
785	408.20	1193.20	78.50	1272.00	1290.00
800	416.00	1216.00	80.00	1296.00	1320.00
820	416.00	1237.00	82.00	1318.00	1320.00
840	416.00	1256.00	84.00	1340.00	1350.00
860	416.00	1276.00	86.00	1362.00	1380.00
880	416.00	1296.00	88.00	1384.00	1410.00
900	416.00	1316.00	90.00	1406.00	1410.00
925	416.00	1341.00	92.50	1434.00	1440.00
950	416.00	1366.00	95.00	1461.00	1470.00

सारणी क्रमांक - 7

विद्‌यमान वेतनमान रु० 740-15-800-20-900-25.1000-30-1180

पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1290-30-1560-40-2040

मूल वेतन (रुपयों में) (1)	मंहगाई भत्ता 608 बिंदु तक (रुपयों में) (2)	योग (रुपयों में) (3)	मूल वेतन का 10 प्रतिशत (रुपयों में) (4)	कालम 3+4 का योग पूर्णांक में (रुपयों में) (5)	पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम (रुपयों में) (6)
740	384.80	1124.80	74.00	1199.00	1290.00
755	392.60	1147.60	75.50	1223.00	1290.00
770	400.40	1170.40	77.00	1247.00	1290.00
785	408.20	1193.20	78.50	1272.00	1290.00
800	416.00	1216.00	80.00	1296.00	1320.00
820	416.00	1236.00	82.00	1318.00	1320.00
840	416.00	1256.00	84.00	1340.00	1350.00
860	416.00	1276.00	86.00	1362.00	1380.00
880	416.00	1296.00	88.00	1384.00	1410.00
900	416.00	1316.00	90.00	1406.00	1410.00
925	416.00	1341.00	92.50	1434.00	1440.00
950	416.00	1366.00	95.00	1461.00	1470.00
975	416.00	1391.00	97.50	1489.00	1500.00
1000	416.00	1416.00	100.00	1516.00	1630.00
1030	427.70	1457.70	103.00	1561.00	1600.00
1060	439.40	1499.50	106.00	1605.00	1640.00
1090	452.10	1541.10	109.00	1650.00	1680.00
1120	462.80	1582.80	112.00	1695.00	1720.00
1150	474.50	1624.50	115.00	1740.00	1760.00
1180	486.20	1666.20	118.00	1784.00	1800.00

सारणी क्रमांक-8

विद्‌यमान वेतनमान : रु० 860-20-900-25-1000-30-1210-1330

पुनरीक्षित वेतनमान : रु० 1350-30-1440-10-1800-50-2200

मूल वेतन (रुपयों में) (1)	मंहगाई भत्ता 608 बिंदु तक (रुपयों में) (2)	योग (रुपयों में) (3)	मूल वेतन का 10 प्रतिशत (रुपयों में) (4)	कालम 3+4 का योग पूर्णांक में (रुपयों में) (5)	पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम (रुपयों में) (6)
860	416.00	1276.00	86.00	1362.00	1380.00
880	416.00	1296.00	88.00	1384.00	1410.00
900	416.00	1316.00	90.00	1406.00	1410.00
925	416.00	1341.00	92.50	1434.00	1440.00
950	416.00	1366.00	95.00	1461.00	1480.00
975	416.00	1391.00	97.50	1489.00	1520.00
1000	416.00	1416.00	100.00	1516.00	1520.00
1030	427.70	1457.70	103.00	1561.00	1600.00
1060	439.40	1499.40	106.00	1605.00	1640.00
1090	451.10	1541.10	109.00	1650.50	1680.00
1120	462.80	1582.80	112.00	1695.00	1720.00
1150	474.50	1624.50	115.00	1740.00	1760.00
1180	486.20	1666.20	118.00	1784.00	1800.00
1210	497.90	1707.90	121.00	1829.00	1850.00
1250	513.50	1763.50	125.00	1889.00	1900.00
1290	529.10	1819.10	129.00	1949.49	1950.00
1330	544.70	1874.70	133.00	2008.00	2050.00